

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष नं.:—0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(लिंक नं. 13028 / 2013) / अलेसे-II / 1948

दिनांक :- २२-०२-२५

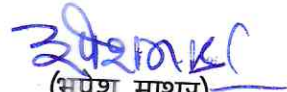
कार्यालय आदेश

निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	लिंक नं.	नाम सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान मुख्यालय
1	2	3	4	5	6
1	13028	श्री लोकेश शर्मा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II	विधि स्नातक परीक्षा सत्र-2023-24 (सांयकालीन) नियमित	शेखावटी संध्या लॉ इंस्टीट्यूट, सीकर	पारिवारिक न्यायालय, सीकर

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो उक्त स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और उस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।

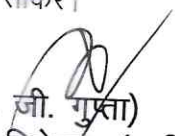

(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- २२-०२-२५

क्रमांक : एफ.4(ई)(लिंक नं. 13028 / 2013) / अलेसे-II / 1948
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यालय पारिवारिक न्यायालय, सीकर।
2. उपनिदेशक, (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. श्री लोकेश शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय पारिवारिक न्यायालय, सीकर।


(के. जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)